रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 7 मार्च, 1980/17 फाल्गुन, 1901

हिमाचल प्रदेश सरकार

(निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 27 फरवरी, 1980

संख्या 3-11/73-इलैक.––भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या हि० प्र० वि० स०/46/77 (6), दिनांक 13 फरवरी, 1980 संवादी 24 माघ, 1901 (शक्) तथा संख्या हिमाचल प्रदेश वि० स० 140/77(7), दिनांक 14 फरवरी, 1980 संवादी 25 माघ, 1901 (शक्) जोकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 (क) के अधीन जारी किये गये हैं, जनसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किये जाते हैं।

आदेश से,
हरि शंकर दुबे,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

229-राजपत्र-7-3-80––1,015.

मूल्य: 20 पैसे।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड़,
नई दिल्ली–110001.
13 फरवरी, 1980
तारीख————————
24 माघ, 1901 (शक्)

आदेश

सं0 हि0 प्र0-वि0स0/46/77 (6).––अतः––निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1977 में हुए हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 46––नगरोटा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जय किशन, ग्राम अम्बरी, पो0 आ0 मलान, तहसील तथा जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, अतः उक्त, उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्या वेदन पर विचार करने के पश्चात्, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10–क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जय किशन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

आदेश से,
के0 गणेशन,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

———

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड़,
नई दिल्ली-110001.

14 फरवरी, 1980
तारीख————————
माघ 25, 1901 (शक्)

आदेश

सं0 हि0 प्र0-वि0 स0/40/77 (7).––अतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1977 में हुए हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 40––ज्वालामुखी

निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कशमीर सिंह, ग्राम माहर, पो0 लागरु-अवरोल, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ।

और, अतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री कशमीर सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

आदेश से,

के0 गणेशन,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हि० प्र० शिमला-3 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित